डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत– सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– गिर्राज बनाम रत्तिराम वगै0

दावा बाबत – स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 224 / 2021, (101 / 2023)

अतः आदेश है कि वाद वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा भूमि ग्राम तुगडबास पटवार हल्का मूंडघिस्या तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 70 पुराना 70 के खसरा नं. 23 रकबा 0.86 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 24 रकबा 0.06 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 25 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. मु.चाह, खसरा नं. 26 रकबा 1.43 हैक्टेयर चाही ए, कुल किता 04 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर वर्तमान में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी 1, 3 लगायत 7 का कोई संबंध सरोकार नहीं है, इसलिये वादीगण दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार से वादीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी न करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिये जाते है कि माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को वादग्रस्त भूमि के संबंध में भिजवाये गये रेफरेन्स प्रकरण मे प्रभावी पैरवी करे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....

...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

(रामसिह राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....
ओहदा.....

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु. न. 224 / 2021
न्यायालय हाजा में दर्ज प्रकरण संख्या 101 / 2023
निर्णय दिनांक 20.01.2026

उनवान

1. गिर्राज उम्र 60 वर्ष पुत्र श्रीया
2. रत्तिराम उम्र 69 वर्ष पुत्र मूल्या
3. हरबक्स उम्र 52 वर्ष पुत्र रामनिवास

} समस्त जाति गुर्जर निवासी नूरपुर तहसील बसवा जिला दौसा।

4. रमेश उम्र 62 वर्ष पुत्र मनफुल
5. हजारी उम्र 56 वर्ष पुत्र पांचूराम

} जाति धोबी निवासी नूरपुर तह. बसवा जिला दौसा।

वादीगणः————————।

बनाम

1. रत्तिराम उम्र 45 वर्ष पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, तहसील बसवा
   माफी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम दुब्बी तहसील बसवा जिला दौसा
   नाबालिग जरिये संरक्षक आम जनता ग्राम तूगड़बास
3. किलाण पुत्र गंगाधर
4. रत्तीराम पुत्र रामकिशन
5. भगवान सहाय पुत्र जौहरीलाल
6. रामकुंवार पुत्र महिपाल
7. रामअवतार पुत्र बोदन

समस्त जाति गुर्जर निवासी तुंगडबास तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रतिवादीगण.....।

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ऋषि राज शर्मा एडवोकेट, नवल सिंह गुर्जर एडवोकेट

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

20.01.2026

वाद वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ। जिसका विवरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– भूमि ग्राम तुगडबास पटवार हल्का मूंडघिस्या तहसील बसवा जिला दौसा खाता सं. नया 70 पुराना 70 के खसरा नं. 23 रकबा 0.86 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 24 रकबा 0.06 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 25 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. मु.चाह, खसरा नं. 26 रकबा 1.43 हैक्टेयर चाही ए, कुल किता 04 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

व उनके परिवारजन खातेदार काश्तकार है तथा भूमि उपरोक्त का उपयोग उपभोग कर मुफीद होते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी सं. 2076 से 2079 संलग्न वाद पत्र पेश है। जिसे आगे चल कर वाद पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी सं. 01 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रतिवाद सं. 01, वादीगण की उपरोक्त भूमि में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करता है तथा वादीगण के खेत के चारों ओर बनी खाम होल को तोड देता है एवं वादीगण की भूमि में खडे हरे वृक्षों का काट देते है तथा वादीगण को फसल बोते, काटते समय व्यवधान पैदा करते है। वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज पून्या पुत्र छोटु हिस्सा 1/4, बुद्धा पुत्र ग्यारस्या हिस्सा 1/4, रामसुखा पुत्र मटटु हिस्सा 1/4, हरल्या पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/4 खातेदार काश्तकार रहे है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व से ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे है तथा उक्त भूमि में मेहनत व परिश्रम से सिंचाई हेतु कुए का निर्माण कर भूमि में सिंचाई कर उपयोग उपभोग करते रहे है वादग्रस्त भूमि पैतृक है जो वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जिसका राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में पून्या, बुद्धा, रामसुखा, हरल्या का इन्द्राज हो रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 01 के गांव में स्थित होने से प्रतिवादी व उसके परिवारजन तथा मिलने वालो द्वारा एक नाजायज संगठन बनाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है, फसल काटते व बोते समय बाधा उत्पन्न करते है तथा बाहुबली होने से वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते है। प्रतिवादी सं. 01 लाठी वाले व पैसे वाले है तथा गाँव के बाहुबली होने से वादीगण के खेतो को अपने खेत में मिलाने के लिये तत्तर रहते है तथा मौका पाकर वादीगण की डोल को तोड़ देते है तथा वादीगण के मना करने पर जान से मारने की धमकी देते है व वादीगण के खेतों में स्थित बजरी को अवैध रूप से मौका पाकर वादीगण की अनुपस्थित में एल एन टी एवं जेसीबे से अवैध रूप से बजरी निकालने पर तत्पर रहते है। जिससे कभी कोई गम्भीर हादसा होने की भी सम्भावना है। दिनांक 02.08.2021 को प्रतिवादी सं. 01व उसके परिवारजन व अन्य 8–10 लोगो अपने साथ लेकर एवं एलएनटी व जेसीबी मशीन लेकर वादीगण के खेतो में जबरन घुस गये तथा अवैध रूप से बजरी का खनन करने लगे तो वादीगण को जानकारी होने पर वादीगण वादग्रस्त भूमि पर मौके पर जाकर वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 01 व इनके परिवारजन को काफी समझाईस की किन्तु वह बजरी निकालने पर आमादा है तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे वादीगण व अन्य लोगो ने प्रतिवादी सं. 01 व उसके साथ आये 8–10 लोगो को बड़ी मुश्किल से समझाईस कर मशीनो को खेतों से निकाला किन्तु प्रतिवादी सं. 01 बाहुबली है तथा ऐंलानिया कहता है कि यह हमारा गाँव है तथा इसमें हमारे नियम लागू होते है हम तुम्हारे खेतों में से बजरी निकाल कर ही छोडेगे तथा हमे रोकने का प्रयास किया तो हम तुम्हे जिन्दा नही छोडेगे आज तो हम जा रहे है लेकिन आइन्दा मौका पाकर वादीगण की भूमि में से जबरन बजरी निकाल कर छोडेगे। प्रतिवादी सं. 01 झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेण वादीगण को नुकसान पहुंचाता रहता है। यदि प्रतिवादी सं. 01 अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। वादीगण अपने जायज हक हकूक व भूमि से वंचित हो जावेगे तथा पक्षकारान के मध्य कई तरह के मुकदमे होकर वादीगण बर्बाद हो जावेगे। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे, फसल बोते व काटते समय व प्राकृतिक उपज प्राप्त करते समय

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नीकई

किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, वादीगण के खेतो के चारों ओर बनी खाम डोल को न तोड एवं वादीगण की भूमि में खडे हरे वृक्षों को न काटे, वादीगण की भूमि में जबरन अवैध कब्जा न करें, किसी भी प्रकार की दखलान्दाजी न करे एवं भूमि में बजरी या मिट्टी की खुदाई ना करे। इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावे में प्रतिवादी सं. 02 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बसवा होने से पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी में वादगण के पूर्वज पून्या, बुद्धा, हरल्या व रामसुखा का इन्द्राज हो रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी विरासत का नामान्तकरण हेतु वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है किन्तु अभी नामान्तकरण में समय लगने की सम्भावना है वादीगण के अलावा वादीगण के अन्य वारिसान है जो वादग्रस्त भूमि के वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है किन्तु दावा स्वामित्व निर्धारण बाबत नहीं है वाद प्रतिवादी सं. 01 द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने एवं बजरी का खनन करने पर उतारू होने पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करने हेतु मृतक पून्या, बुद्धा, रामसुखा व हरल्या के वादीगण वारिसान होने व अन्य वारिसान की सहमति व उनके हितार्थ वादीगण की ओर से ही दावा प्रस्तुत किया गया है। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 02.08.2021 को वादीगण के हिस्से की भूमि में जबरन घुसने का प्रयास करने से व कब्जा करने की धमकी देने से व मारपीट करने पर आमादा होने से तथा भूमि उपरोक्त पर जबरन अवैध कब्जा करने व बजरी खनन करने की एलानियां धमकी देने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है। इसलिये न्यायालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार है तथा दावा अंदर मियाद पेश है। अतएव वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद पत्र वादीगण वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिकी पारित फरमाई जावे– (अ) यह है कि भूमि ग्राम तुगडबास पटवार हल्का मूंडघिस्या तहसील बसवा जिला दौसा खाता सं. नया 70 पुराना 70 के खसरा नं. 23 रकबा 0.86 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 24 रकबा 0.06 हैक्टेयर चाही (ए, खसरा नं. 25 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. गु. चाह, सासरा नं. 26 रकबा 1.43 हैक्टेयर चाही ए, कुल किता 04 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर स्थित है में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे, फसल बोते व काटते समय व प्राकृतिक उपज प्राप्त करते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, वादीगण के खेतो के चारों ओर बनी खाम डोल को न तोडे एवं वादीगण की भूमि में खड़े हरे वृक्षों को न काटे तथा वादीगण की भूमि में जबरन अवैध कब्जा न करें व जबरन मिट्टी या बजरी का विल्सी प्रकार का खनन न करें व किसी भी प्रकार की दखलान्दाजी न करे, इस अमर से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाय जावे। (स) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 01 से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो, अता फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.9.2024 को स्वीकार होने पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब निम्न प्रकार हैः– दिनांक 2/8/2021 को वादीगण की भूमि में जबरन घुसने का व कब्जा करने की नियत से मारपीट करने की धमकी देने व अवैध बजरी खनन करने की धमकी देने का कथन किया है जो कतई गलत है एवम मनगढन्त बेबुनियाद असत्य तथ्यों के आधारो पर वाद पत्र पेश किया है क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज बहक पुजारी जगन्नाथ वल्द गणेश जाति

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि का वाद वादीगण ने कतई गलत एवम बेबुनियाद मनगढन्त तथ्यों के आधार पर लेकर आये है क्योंकि उक्त भूमि माफी मन्दिर ठाकुरजी ग्राम दुब्बी गढ सम्वत 2008, 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में देवीसिंह वगैराह माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी पुजारी जगन्नाथ वल्द गणेश वगैराह की है और प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से झूठा वाद पत्र पेश किया है जबकि संवत 2008 से2022 तक माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज के नाम से है जिसके पुराने खसरा नम्बर 11/1, 11/2, 12, 13, 14 है रकबा 2.36 है० जिसके हाल खसरा नम्बर 23,24,25,26 कुल किता 4 कुल रकबा 2.36 है०, जिससे वादीगण का सम्बन्ध व सरोकार नही है वादीगण ने चालाकी व सांठ गांठ करके प्रतिवादी नम्बर ३ को प्रतिवादी बनाकर वाद पेश किया है जबकि उक्त भूमि को पुजारी जगन्नाथ पुत्र गणेश के नाम के वारिसान ने काश्त करने हेतु बंटायी में बता रखी है जो बंटायी में काश्त करता चला आ रहा है। माफी मन्दिर ठाकुर जी महाराज की भूमि होने से माननीय रेवन्य बोर्ड का भी स्पष्ट आदेश है कि जो भूमि माफी मन्दिर की है उसको तहसीलदार जांच करके रेफरेन्स की सिफारिश हेतु अतिरिक्त जिला कलैक्टर एवम अतिरिक्त जिला मजि० के समक्ष भजेगा। वादीगण ने न्यायालय हाजा को गुमराह करते हुये कतई गलत तथ्यों के आधारो पर वाद पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में प्रतिवादी 3 लगायत 7 की ओर से जवाब निम्न पेश किया गया है:—वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण या इनके पूर्वजो के खातेदारी की भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एंव सहवन से वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी कॉलम में दर्ज हो गई है। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2008 से 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज नाबालिग खुदकाश्त की भूमि रही है। मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी की ओर से एक वाद उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी जरिये संरक्षक बनाम बद्री वगै वादग्रस्त दावा इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण एंव अन्य पक्षकारान के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान एस डी एम महोदय बांदीकुई के यहाँ विचाराधीन है जिसमें वाद के वादीगण जरिये वकील उपस्थित होकर पैरवी मुकदमा कर रहे है। वादीगण के सभी आरोप मिथ्या असत्य बनावटी है। वादपत्र के चरण संख्या 3 में वादीगण के पूर्वजो के हिस्सेवार्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज होना स्वीकार हैं वादीगण का काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व का कब्जा काश्त होना बेमानी है। मिन प्रतिवादी मुर्तिमन्दिर ठाकुर जी महाराज नाबालिग शास्वत स्वरूप है। जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 45, 46 में विशेष सुरक्षा, संरक्षण प्रदान किया गया हैं नाबालिग व्यक्ति या मूर्ति स्वरूप के हित संरक्षक के हित राज्य सरकार का विशेष कर्तव्य एंव दायित्व होता है ऐसे में किसी अतिकमी या काश्त करने से या राजस्व अभिलेख में काश्तकार का अंकन दर्ज होने से मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी महाराज शास्वत नाबालिग के अधिकारों को किसी भी प्रकार से डिलिट (निरस्त) नहीं किया जा सकता है। वादपत्र का जिम्मन नम्बा 04 गलत है स्वीकार नहीं है प्रतिवादी संख्या 01 रत्तीराम शुरू से हो मूर्ति मन्दिर ठाकुरजी महाराज के वादग्रस्त भूमि में हित संरक्षण लिए ग्राम वासियों के साथ मिलकर प्रयासरत रहा है वादीगण द्वेषपूर्ण आशय से नाबालिग ठाकुरजी महाराजी की भूमि को हडपने पर आमादा है।। वादपत्र का जिम्म्मन नम्बर 06 कानूनी है वादीगण को शुरू से ही इस तथ्य की जानकारी रही है की वादग्रस्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त 2008 से 2022 में मूति मन्दिर ठाकुर जी महाराज नाबालिग शाश्वत की भूमि रही है तथा इस सम्बन्ध में दावा उदघोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उनवानी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज बनाम बद्री वगैराह वादीगण व अन्य

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

के विरूद्ध विचाराधीन है। ऐसे में तहसीलदार नहोदय बसवा को धारा 80 (1) जा. दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है नोटिस के अलावा में दावा वादीगण विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वाके ग्राम तूगड बास तहसील बसवा जिला दौसा के के खाता संख्या नया 70 पुराना 70 जिनमें आराजी खसरा नम्बर 23, 24, 25, 26 कुल कितर बुल रकबा 2.36 हैक्टेयर जो साबिका खसरा नम्बर 11/1, 11/2, 12, 15, 13 से बने है। सम्वत 2008 से 2022 की खतौनी बन्दोबस्त में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम दुब्बी की खातेदारी में दर्ज भूमि रही है। चूंकि ठाकुर जी महाराज नाबालिग शास्वत स्वरूप कानून में दर्ज दिया गया है धारा 45, 46 में नाबालिग के हितो के संरक्षण हेतु विशेष उपबन्ध प्रावधान किए गए है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के हक अधिकारात प्राप्त नहीं होते है ना ही निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है दावा वादीगण विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः दावा वादीगण विधिक रूप से पोषणीय नही होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होनें पर प्रकरण में निम्न प्रकार संशोधित तनकीयात कायम की गयी।

तनकी संख्या 1:— आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 23 से 26 किता 04 रकबा 2.36 ग्राम तूंगडबास तहसील बसवा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण

तनकी संख्या 2:— आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, जबरन घुसने कब्जा करने बजरी खनन धमकी देने का कथन कतई गलत है, भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी की है। प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 3:— आया वादीगण का दावा गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4:— आया प्रतिवादी संवत् 2008 से 2022 की खतौनी बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम दुब्बी की खातेदारी में दर्ज भूमि रही है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण 3 लगायत 7

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादीगण की ओर से हरबक्श पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गयी। वादीगण की ओर से और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से रामोवतार पुत्र बोदन, रात्तिराम पुत्र रामकिशन का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस पर नियत की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब दावा को दोहराते हुए तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि संवत् 2008 से 2022 की खतौनी मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज नाबालिग खुदकाश्त रही है। मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी की ओर से एक वाद उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी बनाम बद्री इस्तकरार हक न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि मन्दिर माफी की होने से दावा वादीगण खारिज किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) ...

बहस उभयपक्ष पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 1:– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 23 से 26 किता 04 रकबा 2.36 ग्राम तूंगडबास तहसील बसवा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रदर्श 1 ग्राम तूंगडबास की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या नया 70 पुराना 70 खसरा नम्बर 23 लगायत 26 पेश की गयी। जो वादीगण के पूर्वजों के नाम है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 खातेदार नहीं है। वादीगण द्वारा अपने कथन में वादग्रस्त भूमि को मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज की होना बताया गया है। जिसके संबंध में पत्रावली में तहसीलदार द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को भिजवाये गये रेफरेन्स की छायाप्रति पेश की गयी है। जिसका निर्णय न्यायालय एडीएम साहब को लिया जाना है। वर्तमान में वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 को छोडकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, जबरन घुसने कब्जा करने बजरी खनन धमकी देने का कथन कतई गलत है, भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी की है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को भिजवाये गये रेफरेन्स की छायाप्रति पेश की गयी है। जिसका निर्णय न्यायालय एडीएम साहब को लिया जाना है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम है, इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

तनकी संख्या 3:– आया वादीगण का दावा गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है।

तनकी संख्या 4:– आया प्रतिवादी संवत् 2008 से 2022 की खतौनी बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम दुब्बी की खातेदारी में दर्ज भूमि रही है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 पर है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में सम्वत् 2008 से 2022 की खतौनी बंदोबस्त पेश नहीं की गयी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न्यायालय एडीएम साहब को भिजवाये गये रेफरेन्स से साबित है कि वादग्रस्त भूमि मन्दिर माफी की हो सकती है। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर महोदय दौसा को किया जाना है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है। इसलिये प्रतिवादीगण 2 को छोडकर शेष प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित नहीं है।

अनुतोष:– तनकी संख्या 1 लगायत 4 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीगण के पूर्वजों के नाम है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रेफरेन्स माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगा0 7 का कोई संबंध नहीं है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगा0 7 को स्थायी

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शेखावाटी

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 को भिजवाये गये रेफरेन्स की प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा भूमि ग्राम तुगडबास पटवार हल्का मूंडघिस्या तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 70 पुराना 70 के खसरा नं. 23 रकबा 0.86 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 24 रकबा 0.06 हैक्टेयर चाही ए, खसरा नं. 25 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. मु.चाह, खसरा नं. 26 रकबा 1.43 हैक्टेयर चाही ए, कुल किता 04 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर वर्तमान में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी 1, 3 लगायत 7 का कोई संबंध सरोकार नहीं है, इसलिये वादीगण दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार से वादीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी न करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिये जाते है कि माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को वादग्रस्त भूमि के संबंध में भिजवाये गये रेफरेन्स प्रकरण मे प्रभावी पैरवी करे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/26

(रामसिह राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)

Scanned with OKEN Scanner